

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख)

के अन्तर्गत उ0प्र0 राजकीय रेलवे पुलिस से सम्बन्धित 17

बिन्दुओं की सूचना

बिन्दु संख्या-1 : उ0प्र0 पुलिस राजकीय रेलवे पुलिस की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य-

राजकीय रेलवे पुलिस सामान्य पुलिस बल की एक अलग शाखा है और 1861 के अधिनियम-5 के अधीन इसकी स्थापना की गयी है। पुलिस बल की यह शाखा और इससे संबद्ध लिपिक कर्मचारीवर्ग अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस के प्रशासनिक तथा कार्यकारी नियंत्रण में हैं। राजकीय रेलवे पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में जीआरपी मैनुअल 1942 के पैरा-3 के अनुसार कार्य करना पड़ता है। “राजकीय रेलवे पुलिस के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों के सम्बंध में उसके कर्तव्य सामान्यतः जिला पुलिस के प्रभार के अंतर्गत क्षेत्रों में उसके कर्तव्य के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजकीय रेलवे पुलिस के निम्नलिखित कर्तव्य हैः-

1- रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों में व्यवस्था बनाये रखना। शब्द “व्यवस्था” के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष कर्तव्य हैः-

- (क) स्टेशन परिसर के भीतर विशेष रूप से प्लेटफार्मों पर, टिकटघरों में, मुसाफिरखानों में, प्रवेश करने और निकलने के फाटकों पर तथा संकटकाल में स्टेशन अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से, जहाँ कही अपेक्षित हो, मुसाफिरों के यातायात का नियंत्रण करना।
- (ख) स्टेशन की सीमाओं के भीतर वाहन तथा अन्य यातायात का नियंत्रण करना।
- (ग) स्टेशनों पर रुकने वाली सवारी गाड़ियों में व्यवस्था बनाये रखना तथा डिब्बों में अधिक भीड़-भाड़ की रोक-थाम करना।
- (घ) स्टेशनों पर खड़ी भरी हुयी सवारी गाड़ियों की देख-रेख करना।
- (ड.) उत्पात करने के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, संकामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को हटाना और स्टेशन के परिसर में भीख माँगने वालों को न आने देना।

- (छ) उन व्यक्तियों की लाश को हटाना जिनकी मृत्यु ट्रेन या स्टेशनों के परिसर में हो जाय और बीमार मुसाफिरों को अस्पताल ले जाना।
 - (च) सीमान्तिक स्टेशनों पर पहुंचने पर खाली डिब्बों में मुसाफिरों की छुटी हुई सम्पत्ति के लिए उनकी जाँच करना और डिब्बों का निरीक्षण यह देखने के लिए करना कि उनमें की गयी फिटिंग से किसी ने छेड़-छाड़ तो नहीं की है।
 - (छ) उन व्यक्तियों की लाश को हटाना जिनकी मृत्यु गाड़ी या स्टेशन के परिसर में हो जाय और बीमार मुसाफिरों को अस्पताल ले जाना।
- 2- रेलवे एक्ट के अधीन किये गये अपराधों और रेलवें कर्मचारी वर्ग द्वारा किये गये कपट अथवा दमन के मामलों की सूचना उचित रेलवे या सिविल प्राधिकारियों को देना।
- 3- रेल पर हुई दुर्घटनाओं की जाँच करना।
- 4- रेलवे अधिकारियों तथा यात्रा करने वाली जनता की सहायता करना, जहाँ तक कि ऐसी सहायता पुलिस अधिकारियों के अपने स्वयं के कर्तव्यों के अनुरूप हों तथा समय-समय पर विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा समय-2 पर आयोजित जन सभायें, रैलियां, धरना प्रदर्शन, भारत बंद, प्रदेश बंद, का आहूवान आदि पर होने वाली अत्यधिक भीड़ को नियंत्रण करना तथा वर्तमान परिवेश में नक्सली गतिविधियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना है।


बिन्दु संख्या-2 : अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य-

उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-3886/छ:-पु0से0-2-99-522(5)/84 दि0 22.10.1999 के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे को राजकीय रेलवे पुलिस का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया तथा शासनादेश संख्या- 1952121/आठ-पु0से0-2-522(5)/84 दिनांक 19.08.1987 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के निर्धारित किये गये दायित्वों को अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 को प्रतिनिधानित किये गये। वर्तमान में राजकीय रेलवे पुलिस विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नवत है:-

अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे (विभागाध्यक्ष)



पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज



उपरोक्त समस्त पद धारकों के प्रमुख कर्तव्य संलग्नक ए, बी एवं सी उपलब्ध हैं।

बिन्दु संख्या-3 : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम से सम्मिलित है-

- राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय ३०प्र० लखनऊ द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य शासन एवं पुलिस महानिदेशक, ३०प्र० द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है। राजकीय रेलवे पुलिस के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रशासन हेतु राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में ३०प्र० पुलिस सेवा नियमावली प्रख्यापित है। इसके अतिरिक्त जीआरपी के कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर यथावश्यक टास्क आर्डर निर्गत किये गये हैं। साथ ही ३०प्र० शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाता है।
- राजकीय रेलवे पुलिस के विभागाध्यक्ष, अपर पुलिस महानिदेशक(रेलवे) हैं। इनके पर्यवेक्षणाधीन नियुक्त अन्य राजपत्रित अधिकारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, जिनसे विभिन्न राजकीय कार्यों का सम्पादन विनिश्चय होता है।
- राजकीय रेलवे पुलिस में प्रशासनिक नियन्त्रण/संचालन एवं कर्मियों के अनुशासन बनाये रखने हेतु ३०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।
- राजकीय रेलवे मुख्यालय एवं जनपदों/इकाइयों से स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं प्रोन्ति आदि का कार्य संगत नियमावली/संगत शासनादेशों/संगत विभागीय आदेशानुसार/स्थापना बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं।
- राजकीय रेलवे ३०प्र० में ट्रेनों/स्टेशनों पर घटित घटनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण किया जाता है। जीआरपी मुख्यालय में स्थापित नियन्त्रण द्वारा २४ घण्टे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चलित ट्रेनों के संबंध में समस्याओं को प्राप्त कर संबंधित को त्वरित गति से भेजकर निस्तारण कराया जाता है।
- सभी अनुभागों के पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेलवे) द्वारा किया जाता है।
- पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करते हैं तथा अपनी आख्या विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं।

बिन्दु संख्या-4 : कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-

राजकीय रेलवे पुलिस सामान्य पुलिस बल की एक अलग शाखा है और 1861 के अधिनियम-5 के अधीन इसकी स्थापना की गयी है। राजकीय रेलवे पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में जीआरपी मैनुअल 1942 के पैरा-3 के अनुसार करना पड़ता है। राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ अनुभागों/परिक्षेत्र/जोनों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर शासन की नीति/प्रक्रिया के अनुसार निर्णय किया जाता है एवं तदनुसार कार्यवाही हेतु अनुभागों/ परिक्षेत्र/जोनों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

बिन्दु संख्या-5 : अपने द्वारा या अपने नियंत्रण धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख-

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ का मुख्य कार्य है कि अपने अधीनस्थ अनुभागों/परिक्षेत्रों/जोनों द्वारा किये जा रहे कार्यों में नीति/नियम/प्रक्रिया एवं शासन के आदेशों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रचलित नियमावली “उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 व (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु संख्या-6 : ऐसे दस्तावेज जो, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण -

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखों का कोई श्रेणीकरण नहीं है, परन्तु उसके अधीनस्थ अनुभागों में अभिलेख का रख-रखाव ईकाईवार/शाखावार अलग-अलग किया जाता है।

बिन्दु संख्या-7 : किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है -

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, ३०प्र० लखनऊ और जनता के बीच सीधा सम्पर्क नहीं है फिर भी जीआरपी मुख्यालय ३०प्र० लखनऊ पर नियन्त्रण कक्ष जो २४ घण्टे काम करता है जिसका Whatapp No. ९४५४४०-२५४४ है एवं ट्रिविटर हैप्पिडल नं०-@upgrp_hq है, जिस पर सूचनाओं को भेजा जा सकता है एवं आम जनता से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। राजकीय रेलवे पुलिस ३०प्र० के ०२ जोनल पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ एवं प्रयागराज हैं। जीआरपी के ०६ अनुभाग हैं, जिनमें अनुभाग स्तर पर नियन्त्रणकक्ष स्थापित हैं तथा सभी अनुगों का ट्रिविटर एकाउण्ट भी है जो निम्नवत है-

जीआरपी अनुभाग लखनऊ	-	@spgrplucknow
जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद	-	@spgrpmoradabad
जीआरपी अनुभाग गोरखपुर	-	@spgrpgorakhpur
जीआरपी अनुभाग प्रयागराज	-	@spgrpallahabad
जीआरपी अनुभाग आगरा	-	@spgrpagra
जीआरपी अनुभाग झाँसी	-	@spgrpjhansi

बिन्दु संख्या-४ : ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इसबारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है। क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी-

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, ३०प्र० लखनऊ के स्थानान्तरण/नियुक्ति/साइटेशन हेतु जीआरपी में गठित बोर्ड कमेटी का गठन किया गया है। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर अधीनस्थ अनुभागों/परिक्षेत्र/जोन के प्रभारी से विचार विमर्श हेतु गोष्ठी/मीटिंग आयोजित की जाती है। चूंकि पुलिस विभाग की सूचनायें गोपनीय होती हैं अतः सभी सूचनाएं जनता के प्रयोगार्थ रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

बिन्दु संख्या-9 : अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका -

राजपत्रित अधिकारियों/थानों का विवरण :-

क0स0	नियतन	पद नाम	दूरभाष नम्बर
1	01	अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0	945440-0135
2	0	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-0171
		पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-070
3	02	पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-0236
		पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-0404
4	06	पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-0340
		पुलिस अधीक्षक रेलवे, मुरादाबाद	945440-0341
		पुलिस अधीक्षक रेलवे, गोरखपुर	945440-0397
		पुलिस अधीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-0338
		पुलिस अधीक्षक रेलवे, आगरा	945440-0337
		पुलिस अधीक्षक रेलवे, झाँसी	945440-0339
5	15	स्टाफ आफिसर, अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	945440-1685
		स्टाफ आफिसर, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	-
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-1689
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, वाराणसी	945440-1694
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, कानपुर	945440-1691
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, आगरा	945440-1687
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, इटावा	945440-1690
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, झाँसी	945440-1688
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-1696
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, शाहजहाँपुर	945440-1697
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, बलिया	945440-1698
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, गोरखपुर	945440-1693
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, मुरादाबाद	945440-1692
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, गाजियाबाद	945440-1936
		पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, सहारनपुर	945440-1686
6	07	नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी मुख्यालय, लखनऊ	945440-2544
		नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी अनुभाग, लखनऊ	945440-2545

		नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी अनुभाग, गोरखपुर	945440-2547
		नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी अनुभाग, मुरादाबाद	945440-2548
		नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी अनुभाग, प्रयागराज	945440-2546
		नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी अनुभाग, आगरा	945440-2549
		नियन्त्रण कक्ष, जीआरपी अनुभाग, झाँसी	945440-2550
7	65	थाना जीआरपी, चारबाग	945440-4405
		थाना जीआरपी, शाहजहांपुर	945440-4431
		थाना जीआरपी, हरदोई	945440-4427
		थाना जीआरपी, सीतापुर	945440-4428
		थाना जीआरपी, उन्नाव	945440-4435
		थाना जीआरपी, लखीमपुर	945440-4429
		थाना जीआरपी, बाराबंकी	945440-4432
		थाना जीआरपी, रायबरेली	945440-4433
		थाना जीआरपी, प्रतापगढ़	945440-4434
		थाना जीआरपी, सुल्तानपुर	945440-4425
		थाना जीआरपी, फैजाबाद	945440-4406
		थाना जीआरपी, पीलीभीत	945440-4430
		थाना जीआरपी, अकबरपुर	945440-4426
		थाना जीआरपी, गोण्डा	945440-4412
		थाना जीआरपी, गोरखपुर	945440-4411
		थाना जीआरपी, बस्ती	945440-4436
		थाना जीआरपी, आनन्दनगर	945440-4437
		थाना जीआरपी, बहराइच	945440-4438
		थाना जीआरपी, भटनी	945440-4439
		थाना जीआरपी, देवरिया	945440-4440
		थाना जीआरपी, मऊ	945440-4441
		थाना जीआरपी, आजमगढ़	945440-4442
		थाना जीआरपी, बलिया	945440-4443
		थाना जीआरपी, गाजीपुर	945440-8064
		थाना जीआरपी, मुरादाबाद	945440-4408
		थाना जीआरपी, गाजियाबाद	945440-4447
		थाना जीआरपी, सहारनपुर	945440-4409
		थाना जीआरपी, बरेली जं0	945440-4407

थाना जीआरपी, नजीबाबाद	945440-4446
थाना जीआरपी, रामपुर	945440-4445
थाना जीआरपी, बुलन्दशहर	945440-4448
थाना जीआरपी, शामली	945440-4451
थाना जीआरपी, बड़ौत	945440-4450
थाना जीआरपी, बरेली सिटी	945440-4452
थाना जीआरपी, बदायूँ	945440-4453
थाना जीआरपी, चन्दौसी	945440-4454
थाना जीआरपी, मुजफ्फरनगर	945440-4459
थाना जीआरपी, मेरठ	945440-4410
थाना जीआरपी, प्रयागराज	945440-4413
थाना जीआरपी, वाराणसी	945440-4414
थाना जीआरपी, कानपुर	945440-4416
थाना जीआरपी, पंदीन दयाल उपाध्याय जं0	945440-4415
थाना जीआरपी, फतेहपुर	945440-4462
थाना जीआरपी, मिर्जापुर	945440-4417
थाना जीआरपी, जौनपुर	945440-4463
थाना जीआरपी, आगरा कैण्ट	945440-4418
थाना जीआरपी, आगरा फोर्ट	945440-4461
थाना जीआरपी, अलीगढ़	945440-4420
थाना जीआरपी, मथुरा जं0	945440-4419
थाना जीआरपी, टूण्डला	945440-4422
थाना जीआरपी, एटा	945440-4456
थाना जीआरपी, फिरोजाबाद	945440-4457
थाना जीआरपी, मैनपुरी	945440-4458
थाना जीआरपी, इटावा	945440-4421
थाना जीआरपी, हाथरस सिटी	945440-4455
थाना जीआरपी, कासगंज	945440-4459
थाना जीआरपी, फरूखाबाद	945440-4460
थाना जीआरपी, झौसी	945440-4423
थाना जीआरपी, ललितपुर	945440-4464
थाना जीआरपी, उरई	945440-4465
थाना जीआरपी, बॉदा	945440-4466

	थाना जीआरपी, महोबा	945440-4468
	थाना जीआरपी, भीमसेन	945440-4467
	थाना जीआरपी, मानिकपुर	945440-4424
	थाना जीआरपी, कर्वा	945440-4469

बिन्दु संख्या-10 : प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके नियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है-

क्र0सं0	पद नाम	नियतन	वेतनमान	वेतनमान का लेवल
1	अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	01	1,82,200-2,24,100	लेवल-15
2	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	02	1,44,200-2,18,200	लेवल-14
3	पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे	02	1,31,100-2,16,600	लेवल-13ए
4	पुलिस अधीक्षक रेलवे	06	67,700-2,08,700	लेवल-11
5	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे	15	56,100-1,77,500	लेवल-10
6	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	01	67,700-2,08700	लेवल-11
7	अभियोजन अधिकारी	12	56,100-1,77,500	लेवल-10
8	निरीक्षक ना0पु0	75	44,900-1,42,400	लेवल-07
9	निरीक्षक स0पु0	06	44,900-1,42,400	लेवल-07
10	उप निरीक्षक ना0पु0	366	35,400-1,12,400	लेवल-06
11	उप निरीक्षक स0पु0	40	35,400-1,12,400	लेवल-06
12	उ0नि0 एम /आशुलिपिक	07	35,400-1,12,400	लेवल-06
13	उ0नि0एम/आंकिक/प्रधान लिपिक	28	35,400-1,12,400	लेवल-06
14	सहायक उ0नि0(एम)	88	29,200-92,300	लेवल-05
15	मुख्य आरक्षी	581	25,500-81,100	लेवल-04
16	आरक्षी	4377	21,700-69,100	लेवल-03
17	चतुर्थ श्रेणी	153	19,900-63,200	लेवल-02

बिन्दु संख्या-11 : सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट -

बजट-व्यय से संबंधित विवरण वेबसाइट-koshvani.up.nic.in के उपशीर्षक-026-गृह (पुलिस) के अन्तर्गत उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या-12 : सहायिकी कार्यकर्मों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकर्मों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं-

इस विभाग द्वारा उक्त प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या-13 : विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ-

राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई भी परमिट अथवाइंजेशन अथवा कन्सेशन निर्गत नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या-14 : किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो -

राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं है।

बिन्दु संख्या-15 सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है-

राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश के स्तर पर आम नागरिकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु संख्या-16 : लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ:-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम व पता	जनसूचना अधिकारी	दूरभाष नंबर	अपीलीय जनसूचना अधिकारी	दूरभाष नंबर
1	मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस, ३०प्र० लखनऊ, टावर-४, तृतीय तल,	स्टाफ आफिसर, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,	945440-1685	अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, ३०प्र० लखनऊ	945440-0135

	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	लखनऊ			
2	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	प्रधान लिपिक, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	8004242846	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-0171
3	कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	प्रधान लिपिक, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	7839857220	पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-0236
4	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, प्रयागराज	प्रधान लिपिक, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	9454458233	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-0170
5	कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, प्रयागराज	प्रधान लिपिक, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ	8004242486	पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-0404
6	अनुभाग लखनऊ- कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, प्रथम, जीआरपी अनुभाग लखनऊ	945440-1696	पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ	945440-0340
7	अनुभाग मुरादाबाद - कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे, मुरादाबाद	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद	945440-1692	पुलिस अधीक्षक रेलवे, मुरादाबाद	945440-0341
8	अनुभाग गोरखपुर- कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे, गोरखपुर	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, जीआरपी अनुभाग, गोरखपुर	945440-1693	पुलिस अधीक्षक रेलवे, गोरखपुर	945440-0397
9	अनुभाग प्रयागराज- कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे, प्रयागराज	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, जीआरपी अनुभाग, प्रयागराज	945440-1689	पुलिस अधीक्षक रेलवे, प्रयागराज	945440-0338
10	अनुभाग आगरा- कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे, आगरा	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, जीआरपी अनुभाग आगरा	945440-1687	पुलिस अधीक्षक रेलवे, आगरा	945440-0337
11	अनुभाग झौसी- कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे, झौसी	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, जीआरपी अनुभाग, झौसी	945440-1688	पुलिस अधीक्षक रेलवे, झौसी	945440-0339

बिन्दु संख्या-17 : ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए -

शून्य

संलग्नक-“ए”

अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे) :-

उ0प्र0 राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 के विभागाध्यक्ष होते हैं। वह समस्त नीतिगत एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों में पत्राचार करेंगे/उनकी पत्रावलियाँ उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे। जैसे :-

- संसद/विभान मण्डल के प्रश्नों के प्रकरण।
- आश्वासन समिति से सम्बन्धित प्रकरण।
- न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण जिसमें विभाग को पक्षकार बनाया गया है।
- मानवाधिकार आयोग/अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग/लोकायुक्त/लोकसेवा न्यायाधिकरण आदि से संबंधित प्रकरण।
- राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण।
- विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव विभाग से उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने का दायित्व।
- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 शासन/भारत सरकार/अन्य विभागों आदि से पत्राचार।
- विभिन्न भर्तियों एवं प्रोन्नति आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धी प्रकरण।
- अपराध शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/सतर्कता अधिष्ठान/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/केन्द्रीय जॉच ब्यूरो से संबंधित प्रकरण।
- मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त समस्त प्रकरण।
- बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पत्राचार।
- सम्प्रेक्षा/लोक लेखा समिति से सम्बन्धित प्रकरण।
- अति विशिष्ट व्यक्तियों, कानून व्यवस्था, महत्वपूर्ण आयोजनों, मेलों आदि से सम्बन्धित संचार व्यवस्था।
- महामहिम राज्यपाल, मा0 मुख्य मंत्री, महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट अधिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित ट्रेन यात्रा व्यवस्था आदि।

संलग्नक-“बी”

पुलिस महानिरीक्षक रेलवे :-

- विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सम्पूर्ण प्रशासनिक, अनुशासनात्मक एवं वित्तीय अधिकार पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) में निहित होते हैं।
- राजकीय रेलवे पुलिस, ३०प्र० में ०२ पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ एवं प्रयागराज है। वह अपने-अपने जोन के जोनल महानिरीक्षक हैं।
- वह राजकीय रेलवे पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के पुनरीक्षणयाचिको के सम्पादन किया जाता है।
- वह अपने अधीनस्थ जीआरपी जोन अन्तर्गत कार्यालय/अनुभागों/परिक्षेत्र कार्यालय में नियुक्त कार्यों का अनुश्रवण करने, समय-समय पर समीक्षा करने के क्रम में अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं।

पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेलवे) :-

- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे में जीआरपी के ०२ परिक्षेत्र हैं, जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक, अनुशासनात्मक एवं वित्तीय अधिकार निहित होते हैं।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे जीआरपी परिक्षेत्र में स्थापित प्रशासनिक, कार्मिक, लेखा/बजट, प्रतिसार एवं प्रशिक्षण आदि शाखाओं का पर्यवेक्षण सम्बन्धित अनुभागीय अधिकारियों एवं कार्यालयों के माध्यम से करने तथा अनुभागों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे अपने परिक्षेत्र अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय कार्यवाही, स्थायीकरण, प्रोन्ति कार्यवाही अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पेंशन आदि को सम्पादित एवं निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हैं।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक जीआरपी शाखा में उपलब्ध वाहनों, के आवंटन, भारी मरम्मत, अनुरक्षण एवं निष्प्रयोज्यीकरण आदि की कार्यवाही का पर्यवेक्षण करते हैं।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे पुलिस महानिरीक्षक की अनुपस्थिति में उनके दैनिक कार्यों को सम्पादित करते हैं।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे अपने परिक्षेत्र अन्तर्गत सभी शाखाओं/अनुभागों का प्रशासनिक/तकनीकी पर्यवेक्षण करते हैं।

- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे अपने उक्त कार्यों के अतिरिक्त उन कार्यों का सम्पादन करते हैं, जो समय-समय पर अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे/पुलिस महानिरीक्षक रेलवे द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं।

संलग्नक-“सी”

अनुभागीय पुलिस अधीक्षक (रेलवे) :-

अनुभागीय अधिकारी जीआरपी अनुभाग के पुलिस बल का अध्यक्ष है। वह उसकी दक्षता तथा अनुशासन तथा सभी कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करने के लिए उत्तरदायी है। पुलिस विनियमों के पैरा-17 में विहित सहायक अधीक्षक अथवा उपाधीक्षक के कर्तव्यों के संबंध में नियम उस पर उस सीमा तक लागू होंगे, जहाँ तक कि वे रेलवे पुलिस कार्य की विशेष दशाओं से असंगत न हों। उसे रेल के अधिकारियों तथा ऐसे जिलों के प्राधिकारियों जिनमें से उनका अनुभाग गुजरता हो, से सम्पर्क अवश्य बनाये रखना चाहिये। वह बराबर अपने अनुभाग का दौरा करेगा किन्तु साधारणतया वह अपने मुख्यालय से एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिये अनुपस्थित न रहेगा। वह पुलिस विनियमों के पैरा 16 में विहित ढंग से एक अपराध रजिस्टर रखेगा। वह अपने अनुभाग के भीतर उपनिरीक्षक के पद से निम्न श्रेणी के सभी अधिकारियों का स्थानान्तरण कर सकता है। अनुभागों के मुख्यालय इस प्रकार स्थित हैं :-

- (1) “क” अनुभाग आगरा
- (2) “ख” अनुभाग लखनऊ
- (3) “ग” अनुभाग गोरखपुर
- (4) “घ” अनुभाग प्रयागराज
- (5) “ड.” अनुभाग मुरादाबाद
- (6) “च” अनुभाग झाँसी